न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1579/2026

UPBB010035752026

विकास वर्मा उर्फ भन्नू उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार, निवासी म०न०-985, फैजाबाद रोड खड़खड़ा स्टैण्ड के पास, मोहल्ला कानून गोयान, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी।

----------- प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ------ विपक्षी।

अपराध सं-399/2026
धारा- 305(a) बी.एन.एस. व बढ़ोत्तरी
धारा 317(2), 317(4) बीएनएस,
थाना- कोतवालीनगर,
जिला-बाराबंकी।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता	श्री उमेश चन्द्र एडवोकेट
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	04.06.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	15.06.2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1634/2026

UPBB010036832026

विकास वर्मा उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सोनू वर्मा, निवासी निवासी मोहल्ला गल्ला मण्डी कानून गोयान, जनपद बाराबंकी।

----------- प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ------ विपक्षी।

अपराध सं-399/2026
धारा- 305(a) बी.एन.एस. व बढ़ोत्तरी
धारा 317(2), 317(4) बीएनएस,
थाना- कोतवालीनगर,
जिला-बाराबंकी।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता	श्री अजय चौहान एडवोकेट
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	09.06.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	15.06.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रस्तुत प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध से सम्बन्धित हैं, अतः इनका निरस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि प्रार्थी नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० अजय सिंह सफीपुर मजरे आलापुर, थाना कोतवालीनगर, बाराबंकी का निवासी है। प्रार्थी द्वारा सफीपुर नगर के पास प्रगति विद्या मंदिर के नाम से एक विद्यालय संचालित किया जाता है। दिनांक 13.05.2026 व 14.05.2026 की रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा उसके विद्यालय से एक प्रिंटर, सी०पी०यू०, मानीटर, एल०सी०डी०, सी०सी०टी०वी० कैमरे का डी०वी०आर० दो अदद व साउंड मशीन तथा कैश लगभग सात हजार रूपये तथा बगल की दुकान पंकज वर्मा/श्री माता प्रसाद निवासी सफीपुर, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी की दुकान से 02 अदद बैटरी, एक प्रिंटर व एक इन्वाइटर तथा शिवम वर्मा के खेत से झटका मशीन की बारह वोल्ट की एक बैटरी चोरी कर ले गये।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है व महज गुडवर्क दिखाने के लिए उक्त वाद में जूठा आरोपित कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज कराई गयी है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण एफ०आई०आर० में नामजद अभियुक्त नहीं हैं। आवेदक/अभियुक्तगण ने कोई चोरी की ही नहीं है और न ही आवेदक/अभियुक्तगण के पास से चोरी किया गया सामान ही बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा जिस कथित घटना में प्रार्थी की संलिप्तता दिखाई गयी है उसका कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जबकि कथित बरामदगी घटना स्थल व्यस्त मार्ग है लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें जानबूझकर जंगल बताया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण एक सामाजिक व्यक्ति हैं। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा नरेन्द्र सिंह के विद्यालय से एक प्रिंटर, सी०पी०यू०, मानीटर, एल०सी०डी०, सी०सी०टी०वी० कैमरे का डी०वी०आर० दो अदद व साउंड मशीन तथा कैश लगभग सात हजार रूपये तथा बगल की दुकान पंकज वर्मा/श्री माता प्रसाद निवासी सफीपुर, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी की दुकान से 02 अदद बैटरी, एक प्रिंटर व एक इन्वाइटर तथा शिवम वर्मा के खेत में झटका मशीन की बारह वोल्ट की एक बैटरी चोरी की घटना कारित की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नरेन्द्र सिंह के विद्यालय से एक प्रिंटर, सी०पी०यू०, मानीटर, एल०सी०डी०, सी०सी०टी०वी० कैमरे का डी०वी०आर० दो अदद व साउंड मशीन तथा कैश लगभग सात हजार रूपये तथा बगल की दुकान पंकज वर्मा/श्री माता प्रसाद निवासी सफीपुर, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी की दुकान से 02 अदद बैटरी, एक प्रिंटर व एक इन्वाइटर तथा शिवम वर्मा के खेत में झटका मशीन की बारह वोल्ट की एक बैटरी चोरी की घटना कारित की गयी है। कथित गिरफ्तारी तथा बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्तगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। थाने से आहूत आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास दर्शित नही किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/ अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **विकास वर्मा उर्फ भन्नू** पुत्र दिलीप कुमार तथा **विकास वर्मा** पुत्र सोनू वर्मा उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अंकन-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि का एक एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः-

1-आवेदक/अभियुक्तगण दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नही होगें।

2-अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नही करेंगे और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगें।

3-आरोप, साक्ष्य, धारा-351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नही चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उनकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

जमानत आदेश की प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1634/2026 विकास वर्मा बनाम राज्य की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक-15.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी
JO Code UP1899